जन्म–मृत्यु पंजीयन विभाग

जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया

(1) घर पर हुए बच्चो के जन्म प्रमाण पत्र बनाने में लगने वाले दस्तावेज

(2) जन्म से 21 दिन तक की अवधि तक सामान्य पंजीयन किया जाता है जिसमें जन्म लेने वाले शिशु के माता पिता द्वारा निर्धारित प्रारूप में लिखित सूचना देने के साथ, आधार कार्ड की फोटोकापी सलग्न करने के पश्चात, निर्धारित प्रारूप एवं आवेदन पत्र निगम की जन्म–मृत्यु पंजीयन शाखा से प्राप्त कर सकते है।

(3) जन्म के एक माह से एक वर्ष की अवधि के अन्दर की यदि घटना का पंजीयन कराना हो तो शिशु के माता/पिता का शपथ पत्र के साथ जिस क्षेत्र में शिशु जन्मा है उसी क्षेत्र की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का लेटर पेड पर सत्यापन के साथ शिशु के माता पिता के आधार कार्ड के फोटोकापी एवं 20 रूपये का बैंक चालाना विलंब पंजीयन शुल्क के रूप में तथा निगम पंजीयन आफिस से निर्धारित प्रारूप प्राप्त कर, एवं उसे भरकर जमा करने के पश्चात जिला रजिस्ट्रार (जन्म–मृत्यु) जिला देवास की स्वीकृति पश्चात जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

(4) जन्म के एक वर्ष अधिक अवधि के जन्म पंजीयन की घटना को पंजीयन कराने हेतु शपथ पत्र के साथ जन्म संबंधि दस्तावेज जैसे आगंनवाड़ी कार्यकर्ता का सत्यापन का लेटर पेड एवं शिशु की अंकसूचि के साथ 20 रूपये का बैंक चालान जमा करने के बाद, कार्यकारी मजिस्ट्रेड के आदेश के पश्चात जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

प्राईवेट हास्पिटल या नर्सिग होम में हुए बच्चो की जन्म प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया

(5) जिन शिशुओ का जन्म निगम सिमा क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाले किसी भी प्राईवेट हास्पिटल या नर्सिग होम में हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ माता पिता के आधार कार्ड के साथ हास्पिटल का डिस्चार्ज स्लिप के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा कर, प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।

जन्म–मृत्यु पंजीयन विभाग

मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की प्रकिया

(1) घर पर प्राकृतिक मृत्यु होने पर मृत्यु पंजीयन कराने की विधि एवं उसमे लगने वाले दस्तावेज

(2) मृत्यु से 21 दिन तक की अवधि तक सामान्य पंजीयन किया जाता है जिसमें मृतक की मुक्तिधाम/कब्रस्तान की रसीद एवं मृतक आधार कार्ड के साथ के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन पंजीयन विभाग में जमा कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है। निगम की जन्म–मृत्यु शाखा से निशुल्क निर्धारित प्रारूप एवं आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है।

(3) अगर कोई व्यक्ति निगम सिमा क्षेत्र के प्राईवट हास्पिटल में मृत्यु होती है तो उस हास्पिटल का मृत्यु डिस्चार्ज स्लिप एवं आधार कार्ड के साथ जमा कर प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

(4) अगर कोई व्यक्ति महिला/पुरूष नगर निगम सिमा क्षेत्र में दुर्घटना या अन्य कोई अप्राकृतिक तरीके से मृत्यु होती है तो, संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस एफआईआर की प्रतिलिपि/पोस्ट मार्डम रिपोर्ट की प्रतिलिपि आवेदन के साथ सलग्न कर प्रमाण पत्र ले सकते है।

(5) नगर निगम सिमा क्षेत्र के कुछ वार्डो में मुक्तिधाम/कब्रस्तान में रसीद व्यवस्था नही होने के कारण उस क्षेत्र के वार्ड कोटवार/ वार्ड दरोगा द्वारा निर्धारित प्रारूप में हस्ताक्षर कर कार्यालय में 21 दिन के भीतर जमा कराने पर पंजीयन कर प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते है।